GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2048
ANSWERED ON MONDAY, DECEMBER 19, 2022/
AGRAHAYANA 28, 1944 (SAKA)

Retirement Age of Corporate Sector Employees

2048. SHRI GIRIDHARI YADAV:

Will the Minister of **CORPORATE AFFAIRS** be pleased to state:

(a) whether the average life expectancy of the people has increased in the country;

(b) whether the retirement age of Government Employees is fixed at 60 years;

(c) whether the retirement age of the employees working in corporate sector is 55 to 58 years;

(d) if so, whether the Government has a proposal to fix the retirement age of the employees working in corporate sector at 60 years in view of the increase in the average life expectancy; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION; MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

[RAO INDERJIT SINGH]

(a): Yes Sir. As per the latest report, released in October, 2022, titled '*Sample Registration System (SRS) based Abridged Life Table 2016-20'* published by the Office of the Registrar General & Census Commissioner, Government of India, the average life expectancy at birth for India has increased from 66.1 during the period 2006-10 to 70.0 during the period 2016-20 registering an increase of 3.9 years during this period.

The Expectation of life at birth by sex and residence, India, 1970-75 to 2016-20 as published by the Office of the Registrar General & Census Commissioner, Government of India is given at **Annexure-I**.

(b): Yes Sir. As per F.R. 56(a), except as otherwise provided in the rule (attached herewith), every Government servant shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of **sixty years**.

(c) to (e): The Government does not fix the retirement age for the employees working in the corporate sector. The remaining question does not arise.

****

https://www.staffnews.in

Annexure-I

Sample Registration System (SRS)

Expectation of life at birth by sex and residence, India, 1970-75 to 2016-20 (e_0^0)

Period	Mid-Year	Total			Rural			Urban		
		Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
1970-75	1973	49.7	50.5	49	48	48.9	47.1	58.9	58.8	59.2
1976-80	1978	52.3	52.5	52.1	50.6	51	50.3	60.1	59.6	60.8
1981-85	1983	55.4	55.4	55.7	53.7	54	53.6	62.8	61.6	64.1
1986-90	1988	57.7	57.7	58.1	56.1	56.1	56.2	63.4	62	64.9
1987-91#	1989	58.3	58.1	58.6	56.8	56.7	56.9	63.8	62.3	65.3
1988-92#	1990	58.7	58.6	59	57.4	57.2	57.4	64.1	62.8	65.5
1989-93#	1991	59.4	59	59.7	58	57.9	58.1	64.9	63.5	66.3
1990-94#	1992	60	59.4	60.4	58.6	58.2	58.7	65.4	64.1	66.7
1991-95#	1993	60.3	59.7	60.9	58.9	58.5	59.3	65.9	64.5	67.3
1992-96#	1994	60.7	60.1	61.4	59.4	58.9	59.8	66.3	64.9	67.7
1993-97#	1995	61.1	60.4	61.8	59.9	59.3	60.2	66.6	65.1	68
1994-98#	1996	61.4	60.6	62.2	60.1	59.5	60.5	66.8	65.3	68.2
1995-99#	1997	61.5	60.8	62.3	60.3	59.7	60.9	66.4	65.1	67.9
1996-00#	1998	61.9	61.2	62.7	60.7	60.1	61.3	66.7	65.4	68.3
1997-01#	1999	62.3	61.4	63.3	61.1	60.3	61.9	67.1	65.7	68.7
1998-02	2000	62.9	61.9	64	61.6	60.7	62.5	67.6	66.1	69.2
1999-03	2001	63.4	62.3	64.6	62.2	61.1	63.2	68	66.5	69.7
2000-04	2002	63.9	62.8	65.2	62.7	61.6	63.8	68.4	66.9	70
2001-05	2003	64.3	63.1	65.6	63	61.9	64.2	68.6	67.2	70.3
2002-06	2004	64.7	63.5	66.1	63.5	62.3	64.7	68.9	67.4	70.6
2003-07	2005	65	63.7	66.5	63.8	62.6	65.2	69	67.5	70.7
2004-08	2006	65.4	64	66.9	64.2	62.9	65.7	69	67.5	70.8
2005-09	2007	65.7	64.3	67.2	64.5	63.2	66	69.2	67.6	71
2006-10	2008	66.1	64.6	67.7	64.9	63.5	66.5	69.6	68	71.4
2007-11	2009	66.5	64.9	68.2	65.3	63.8	67	70.1	68.4	71.9
2008-12	2010	67	65.4	68.8	65.8	64.2	67.6	70.6	69	72.4
2009-13	2011	67.5	65.8	69.3	66.3	64.6	68.1	71.2	69.6	73
2010-14	2012	67.9	66.4	69.6	66.7	65.1	68.4	71.5	70	73.2
2011-15	2013	68.3	66.9	70	67.1	65.6	68.7	71.9	70.5	73.5
2012-16	2014	68.7	67.4	70.2	67.4	66	68.9	72.2	70.9	73.5
2013-17	2015	69	67.8	70.4	67.7	66.4	69	72.4	71.2	73.7
2014-18	2016	69.4	68.2	70.7	68	66.7	69.3	72.6	71.5	73.8
2015-19	2017	69.7	68.4	71.1	68.3	66.9	69.7	73	71.8	74.2
2016-20	2018	70.0	68.6	71.4	68.6	67.2	70.1	73.2	71.9	74.5

: India does not include Jammu & Kashmir

https://www.staffnews.in

No. 25012/8/98-Estt. (A)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)

New Delhi- 11001.
Dated the 30th May, 1998

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Age of retirement in autonomous bodies/organizations — Raising of.

The undersigned is directed to say that the Fifth Central Pay Commission in para 128.16 of its report recommended for increase in age of retirement of Central Government employees from 58 years to 60 years. The recommendation of the Fifth Central Pay Commission has been accepted by the Government and it has been decided to increase the age of retirement of Central Government employees from 58 years to 60 years. Accordingly, F.R. 56 has been amended vide this Department's Notifications No. 25012/2/97-Estt. (A) dated 13.5.1998 and 27.5.1998. The amended F R. 56 (a) reads as under:-

"(a) Except as otherwise provided in this rule, every Government servant -shall retire from the service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

> Provided that a Government servant whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years".
>
> "Provided further that a Government servant who has attained the age of fifty eight years on or before the first day of May, 1998 and is on extension in service, shall retire from service on expiry of his extended period of service".

Consequent upon revision of scale of pay of the Central Government employees, the question of extending the same benefits to the employees of the autonomous bodies/ organisations was also under consideration of the Government. It has been decided to extend the benefit of extension in age of retirement from 58 years to 60 years in the following cases:-

(a) In cases where the autonomous bodies/organizations are following the rules as applicable to Central Government employees and where the pay scales and conditions of service are identical to Central Government employees, the age of retirement shall be extended by two years with prospective effect through appropriate Notification amending the Rules in consultation with the administrative Ministry concerned

https://www.staffnews.in

subject to condition that the age of retirement shall not exceed 60 years. There shall be a complete ban on grant of extension in service beyond the age of superannuation except in the case of medical and scientific specialists, who can be granted extension in service, on a case to case basis, upto the age of 62 years and the orders relating to increase in age of retirement shall not be applicable to the persons on extension in service on 1.5.1998.

(b) In cases where the existing rules of the relevant autonomous bodies/organizations provide either that the age of retirement of specified categories of personnel working in these organizations shall be same as corresponding categories/grades in the Central Govt. or where the existing rules provide that all the conditions of service shall be identical to corresponding category of personnel in the Central Govt., the age of retirement may be increased by two years from prospective effect subject to a maximum of 60 years, in consultation with the concerned Administrative Ministry except in cases where the age or retirement in these organizations is already more compared to their counterparts in the Central Govt. There shall be a complete ban on extension in service beyond the age of superannuation except in the case of medical and scientific specialists, who can be granted extension in service, on a case to case basis, upto the age of 62 years and the orders relating to increase in age of retirement shall not be applicable to the persons on extension in service on 1.5.1998.

(C) In respect of autonomous bodies/organization not covered by (a) & (b) above, the Administrative Ministry concerned may examine the matter on merits and thereafter approach the Department of Personnel, if it proposed to extend the age of retirement in these autonomous bodies/organization. The usual conditions that the maximum age of retirement, shall not exceed 60 years and there shall, be a complete ban on extension in service beyond the age of superannuation except in case of medical and scientific specialists, who can be granted extension in service, on a case to case basis, upto the age of 62 years and the orders relating to increase in age of retirement shall not be applicable to the persons on extension in service on the date of issue of orders shall apply.

3. Approvals in the cases covered by paras 2(a) and (b) above will be at the level of the Minister-in-Charge of the administrative Ministry.

sd/-
(Harinder Singh)
Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Govt. of India.

https://www.staffnews.in

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2048

(जिसका उत्तर सोमवार, 19 दिसंबर, 2022/ 28 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

2048. श्री गिरिधारी यादवः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है;

(ग) क्या कारपोरेट क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 से 58 वर्ष है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि को देखते हुए कारपोरेट क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): जी, हां। भारत सरकार के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रकाशित "नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2016-20" शीर्षक से अक्टूबर, 2022 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष 2006-10 की अवधि के दौरान 66.1 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2016-20 की अवधि के दौरान 70.0 वर्ष हो गई है जिसमें इस अवधि के दौरान 3.9 वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत सरकार के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा यथा प्रकाशित, लिंग और निवास-वार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, भारत, 1970-75 से 2016-20 तक, **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): जी, हां। एफ.आर.56(क) के अनुसार, नियम (इसके साथ संलग्न) में अन्यथा उपबंध के अलावा, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन की अपराह्न को सेवा से निवृत्त होगा जिसमें वह **साठ वर्ष** की आयु प्राप्त कर लेगा।

(ग) से (ङ): सरकार कारपोरेट क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित नहीं करती है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

***

https://www.staffnews.in

नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस)

लिंग और निवास-वार जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, भारत, 1970-75 से 2016-20 (e_0^0)

अवधि	मध्य	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	वर्ष	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1970-75	1973	49.7	50.5	49	48	48.9	47.1	58.9	58.8	59.2
1976-80	1978	52.3	52.5	52.1	50.6	51	50.3	60.1	59.6	60.8
1981-85	1983	55.4	55.4	55.7	53.7	54	53.6	62.8	61.6	64.1
1986-90	1988	57.7	57.7	58.1	56.1	56.1	56.2	63.4	62	64.9
1987-91#	1989	58.3	58.1	58.6	56.8	56.7	56.9	63.8	62.3	65.3
1988-92#	1990	58.7	58.6	59	57.4	57.2	57.4	64.1	62.8	65.5
1989-93#	1991	59.4	59	59.7	58	57.9	58.1	64.9	63.5	66.3
1990-94#	1992	60	59.4	60.4	58.6	58.2	58.7	65.4	64.1	66.7
1991-95#	1993	60.3	59.7	60.9	58.9	58.5	59.3	65.9	64.5	67.3
1992-96#	1994	60.7	60.1	61.4	59.4	58.9	59.8	66.3	64.9	67.7
1993-97#	1995	61.1	60.4	61.8	59.9	59.3	60.2	66.6	65.1	68
1994-98#	1996	61.4	60.6	62.2	60.1	59.5	60.5	66.8	65.3	68.2
1995-99#	1997	61.5	60.8	62.3	60.3	59.7	60.9	66.4	65.1	67.9
1996-00#	1998	61.9	61.2	62.7	60.7	60.1	61.3	66.7	65.4	68.3
1997-01#	1999	62.3	61.4	63.3	61.1	60.3	61.9	67.1	65.7	68.7
1998-02	2000	62.9	61.9	64	61.6	60.7	62.5	67.6	66.1	69.2
1999-03	2001	63.4	62.3	64.6	62.2	61.1	63.2	68	66.5	69.7
2000-04	2002	63.9	62.8	65.2	62.7	61.6	63.8	68.4	66.9	70
2001-05	2003	64.3	63.1	65.6	63	61.9	64.2	68.6	67.2	70.3
2002-06	2004	64.7	63.5	66.1	63.5	62.3	64.7	68.9	67.4	70.6
2003-07	2005	65	63.7	66.5	63.8	62.6	65.2	69	67.5	70.7
2004-08	2006	65.4	64	66.9	64.2	62.9	65.7	69	67.5	70.8
2005-09	2007	65.7	64.3	67.2	64.5	63.2	66	69.2	67.6	71
2006-10	2008	66.1	64.6	67.7	64.9	63.5	66.5	69.6	68	71.4
2007-11	2009	66.5	64.9	68.2	65.3	63.8	67	70.1	68.4	71.9
2008-12	2010	67	65.4	68.8	65.8	64.2	67.6	70.6	69	72.4
2009-13	2011	67.5	65.8	69.3	66.3	64.6	68.1	71.2	69.6	73
2010-14	2012	67.9	66.4	69.6	66.7	65.1	68.4	71.5	70	73.2
2011-15	2013	68.3	66.9	70	67.1	65.6	68.7	71.9	70.5	73.5
2012-16	2014	68.7	67.4	70.2	67.4	66	68.9	72.2	70.9	73.5
2013-17	2015	69	67.8	70.4	67.7	66.4	69	72.4	71.2	73.7
2014-18	2016	69.4	68.2	70.7	68	66.7	69.3	72.6	71.5	73.8
2015-19	2017	69.7	68.4	71.1	68.3	66.9	69.7	73	71.8	74.2
2016-20	2018	70.0	68.6	71.4	68.6	67.2	70.1	73.2	71.9	74.5

 # : भारत में जम्मू-कश्मीर शामिल नहीं है

https://www.staffnews.in

सं. 25012/8/98-स्था. (ए)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110001
दिनांक 30 मई, 1998

कार्यालय ज्ञापन

विषय : स्वायत्त निकायों/संगठनों में सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 128.16 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की सिफारिश की थी। पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, एफ.आर. 56 को इस विभाग की अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्थापना (ए) दिनांक 13.5.1998 और 27.5.1998 द्वारा संशोधित किया गया है। संशोधित एफ.आर. 56 (ए) का पाठ निम्नानुसार है: -

"(क) इस नियम में अन्यथा प्रावधान को छोड़कर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन को अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होगा जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है:

परन्तु यह कि कोई सरकारी सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी माह की पहली तारीख हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपराह्न को सेवानिवृत्त हो जाएगा।

"परंतु यह भी कि एक सरकारी सेवक जिसने मई, 1998 के पहले दिन को या उससे पहले अठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और सेवा में विस्तार पर हो, सेवा की विस्तारित अवधि की समाप्ति पर सेवा से निवृत्त हो जाएगा"।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के परिणामस्वरूप, स्वायत्त निकायों/संगठनों के कर्मचारियों को समान लाभ देने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन था। निम्नलिखित मामलों में सेवानिवृत्ति की आयु में विस्तार के लाभ को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है:-

(क) ऐसे मामलों में जहां स्वायत्त निकाय/संगठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रयोज्य नियमों का पालन कर रहे हैं और जहां वेतनमान और सेवा की शर्तें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान हैं, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से नियमों में संशोधन करके उचित अधिसूचना के माध्यम से सेवानिवृत्ति की आयु भावी प्रभाव से दो साल तक बढ़ा दी जाएगी जो इस शर्त के अध्यधीन है कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी। चिकित्सा और वैज्ञानिक विशेषज्ञों के मामले को छोड़कर, जिन्हें मामले दर मामले के आधार पर 62 वर्ष की आयु तक सेवा में विस्तार दिया जा सकता है, सेवानिवृत्ति से आगे सेवा विस्तार देने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि से संबंधित आदेश 1.5.1998 को सेवा में विस्तार वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

(ख) ऐसे मामलों में जहां प्रासंगिक स्वायत्त निकायों/संगठनों के मौजूदा नियम या तो प्रदान करते हैं कि इन संगठनों में काम करने वाले कर्मियों की निर्दिष्ट श्रेणियों की सेवानिवृत्ति की आयु केंद्र सरकार में संबंधित श्रेणियों/ग्रेडों के समान होगी या जहां मौजूदा नियम प्रदान करते हैं कि सेवा की सभी शर्तें केंद्र सरकार में कर्मियों की इसी श्रेणी के समान होंगी, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से उन मामलों को छोड़कर जहां इन संगठनों में आयु या सेवानिवृत्ति केंद्र सरकार में उनके समकक्षों की तुलना में पहले से ही अधिक है, सेवानिवृत्ति की आयु भावी प्रभाव से अधिकतम 60 वर्ष के अधीन दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, चिकित्सा और वैज्ञानिक विशेषज्ञों के मामले को छोड़कर, जिन्हें मामले दर मामले के आधार पर 62 वर्ष की आयु तक सेवा में विस्तार दिया जा सकता है, सेवानिवृत्त से आगे सेवा विस्तार देने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि से संबंधित आदेश 1.5.1998 को सेवा में विस्तार वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में शामिल नहीं किए गए स्वायत्त निकायों/संगठन के संबंध में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच कर सकता है और उसके बाद कार्मिक विभाग से संपर्क कर सकता है, यदि वह इन स्वायत्त निकायों/संगठन में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। सामान्य शर्तें कि सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी और चिकित्सा और वैज्ञानिक विशेषज्ञों के मामले को छोड़कर, जिन्हें मामले दर मामले के आधार पर 62 वर्ष की आयु तक सेवा में विस्तार दिया जा सकता है और सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि से संबंधित आदेश सेवा में विस्तार वाले व्यक्तियों पर आदेश जारी होने की तिथि को लागू नहीं होंगे।

3. उपर्युक्त पैरा 2(क) और (ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों में स्वीकृति प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के स्तर पर होगी।

हस्ता/-
(हरिंदर सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।